न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फागी जिला जयपुर

बइजलासः—डॉ0 राकेश कुमार मीणा (आर0ए0एस0)
मु0न0ः— 76 / 2019
निर्णय दिनांकः— 15.10.2019

1. सुरेन्द्र पुत्र स्व0 घासी जाति खारोल निवासी माधोराजपुरा तहसील फागी जिला जयपुर हाल निवासी डी 69 प्रेमनगर — 2 खसरा नम्बर 1194 किरारी सुलेमान नगर, उत्तर पश्चिमी दिल्ली 110086।
2. अमित कुमार पुत्र स्व0 घासी जाति खारोल निवासी माधोराजपुरा तहसील फागी जिला जयपुर हाल निवासी ए — 56 प्रेमनगर — 2 खसरा नम्बर 1194 किरारी सुलेमान नगर, उत्तर पश्चिमी दिल्ली 110086।
3. कृष्ण कुमार पुत्र स्व0 घासी जाति खारोल निवासी ग्राम माधोराजपुरा तहसील फागी जिला जयपुर।

वादीगण

बनाम

1. तहसीलदार फागी तहसील फागी जिला जयपुर।
2. हनुमान पुत्र स्व0 घासी जाति खारोल निवासी ग्राम माधोराजपुरा तहसील फागी जिला जयपुर।

प्रतिवादीगण

उपस्थित अधिवक्ताः— श्री सत्यदेव सिंह नरूका वकील वादीगण
श्री शंकरलाल रैगर वकील प्रति0 सं0 2

::घोषणा इन्द्राज दुरूस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा::—

--:: निर्णय ::— दिनांक— 15.10.2019

वाद पत्र के तथ्य सक्षेप में इस प्रकार है कि विवादग्रस्त आराजी खतौनी सं0 68 के आराजी खसरा नम्बर 491 रकबा 02 बिस्वा गै0मु0 चाह व खाता संख्या 100 में वर्णित ख0न0 2017 रकबा 03 बिस्वा व खाता संख्या 101 में वर्णित खसरा नम्बर 512 रकबा 03 बीघा 18 बिस्वा व खाता संख्या 559 में वर्णित खसरा नम्बर 493 रकबा 02 बीघा 16 बिस्वा भूमि वाके ग्राम माधोराजपुरा तहसील फागी जिला जयपुर मे स्थित है जिसके खाता संख्या 68 में वादीगण का 3 / 21 हिस्सा व खाता संख्या 100 में हिस्सा 3 / 8 व खाता संख्या 101 में हिस्सा 3 / 16 व खाता संख्या 559 में हिस्सा 3 / 7 निहित है। जिसमे उपरोक्त हिस्सेनुसार वादीगण खातेदार काश्तकार है। तथा मौके पर काबिज काश्त होकर लगान सरकारी जमा कराता चला आ रहा है। विवादग्रस्त आराजी

उपखण्ड अधिकारी
फागी (जयपुर)

लगातार 2

वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 2 की पैतृक सम्पति है एवं स्व0 घासी पुत्र बाल्या जो कि वादीगण के पिताजी लगते थे। वादीगण के पिता के फोत होने पर हनुमान, बजरंग, रामावतार, किशन एवं पुत्रीयॉ सुरता, किशना एवं धर्मपत्नि रूकमा देवी के नाम विरासत से दर्ज किया गया है जबकि विरासत के नामान्तकरण मे वादीगण का नाम गलत दर्ज कर दिया गया क्योकि वादी संख्या 1 बजरंग का रिकार्डेड नाम सुरेन्द्र है। उसी प्रकार रामावतार का रिकार्डेड नाम अमित कुमार है एवं किशन का सही नाम कृष्ण कुमार है। जबकि बजरंग पुत्र घासी व सुरेन्द्र पुत्र घासी एक ही व्यक्ति है व रामावतार पुत्र घासी व अमित कुमार पुत्र घासी एक ही व्यक्ति है एवं किशन पुत्र घासी व कृष्ण कुमार पुत्र घासी नाम का भी एक ही व्यक्ति है। उक्त आराजी पर पूर्व मे वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 2 के पिता स्व0 घासी काबिज काश्त थे। उनके फौती पर उनके कानूनी वारिस वादीगण व प्रतिवादी संख्या 2 हनुमान अपने अपने हिस्सेनुसार काबिज काश्त चले आ रहै है। वादी संख्या 1 को बडे बुढे बजरंग के नाम से बोलते थे व वादी संख्या 2 को बडे बुढे रामावतार के नाम से बोलते थे व वादी संख्या 3 को किशन के नाम से बोलते थे। इसलिये वादीगण के पिता की फौती पर वादीगण के बोलते नामो से ही फौती का नामान्तकरण खोल दिया गया है। वादी संख्या 1 सुरेन्द्र पुत्र घासी व वादी संख्या 2 अमित कुमार पुत्र घासी व वादी संख्या 3 कृष्ण कुमार पुत्र घासी जातियान खारोल नाम के अन्य कोई व्यक्ति ग्राम माधोराजपुरा मे नही है। बल्कि वादीगण के सभी दस्तावेजो आधारकार्ड, राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, बैक पास बुक से पूर्णतया सिद्व होता है कि वादी संख्या 1 का नाम सुरेन्द्र वादी संख्या 2 का नाम अमित कुमार व वादी संख्या 3 का नाम कृष्ण कुमार है। इसलिये वादीगण का नाम राजस्व रिकार्ड मे दुरूस्त किया जाना कानूनन न्यायोचित है। अभी हाल मे दिनांक 03.06.2019 को वादी गांव आये किसान कार्ड बनवाने वास्ते पटवारी हल्का से जमाबन्दी लेने गये तो पटवारी हल्का ने बताया कि राजस्व रिकार्ड मे तो आप लोगो का नाम ही बजरंग, रामावतार, व किशन

लगातार................3

उपखण्ड अधिकारी
फागी (जयपुर)

पिसरान घासी दर्ज है। इसी प्रकार वादीगण को अपने नाम गलत दर्ज होने की जानकारी हुई। वादीगण उक्त गलती को दुरस्त कराने के लिये जब प्रतिवादी संख्या 1 के पास गये तो दिनांक 07.06.2019 को प्रतिवादी संख्या 1 ने उक्त गलती को दुरूस्त करने से इन्कार कर दिया एवं मान्य न्यायालय मे कार्यवाही करने के लिये कहा इसलिये श्रीमान के समक्ष यह वाद प्रस्तुत किया जाना लाजमी हुआ है। वादीगण को दिनांक 07.06.2019 को प्रतिवादी द्वारा वादीगण के नामो को दुरूस्त करने से इन्कार करने एवं मान्य न्यायालय से आदेश लाने को कहने पर वाद कारण उत्पन्न हुआ है वाद वादीगण अन्दर मियाद प्रस्तुत है। वाद को सुननें व निस्तारण करने का श्रीमान न्यायालय को श्रवणाधिकार प्राप्त है।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलवी जारी की गई। प्रतिवादी संख्या 1 की और से पैरोकार सरकार ने जबाब पेश किया जो शामिल मिसल किया गया। तथा अपने जबाब के तथ्यो में वादीगण का वाद डिक्री किये जाने पर कोई आपत्ति प्रकठ नही की।

प्रतिवादी संख्या 2 की और से वकील श्री शंकरलाल ने वकालतनामा व इकबालिया जबाब पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया।

साक्ष्य हेतु वादी कृष्ण कुमार ने स्वंय, व स्वत्रन्त गवाह मांगीलाल पुत्र रामचन्द्र जाति गुर्जर, रामदयाल सरसुण्डिया पुत्र कल्याण जाति जाट निवासी माधोराजपुरा के शपंथ पेश किया जो शामिल मिसल किया गया तथा अपने शपथं पत्र वादीगण का नाम राजस्व रिकार्ड मे वादी संख्या 1 का सही नाम सुरेन्द्र वादी संख्या 2 का अमित कुमार, वादी संख्या 3 का कृष्ण कुमार दुरूस्त करने बाबत पेश किया।

बहस सुनी गई। वादीगण के अधिवक्ता ने अपनी बहस मे वाद पत्र के तथ्यो को दौहरातें हुये वादीगण का वाद डिक्री किये जाने का निवेदन किया।

लगातार....................4

उपखण्ड अधिकारी (जयपुर)

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली व पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजो का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। अवलोकन करने पर पाया की मुताबिक जमाबन्दी सम्वत 2071 – 2074 वाके ग्राम माधोराजपुरा मे वादीगण का नाम बजरंग, रामावतार, किशन दर्ज रिकार्ड है। तथा वादीगण के अन्य दस्तावेजो में वादीगण का नाम क्रमश सुरेन्द्र, अमित कुमार व कृष्ण कुमार दर्ज है गवाह ने भी वादीगण का सही नाम क्रमश सुरेन्द्र, अमित कुमार व कृष्ण कुमार होने का कथंन किया है। एवं ग्राम पंचायत माधोराजपुरा द्वारा जारी सजरा प्रमाण पत्र मे भी वादीगण का नाम क्रमश सुरेन्द्र, अमित कुमार व कृष्ण कुमार होना बताया है। उक्त विवादग्रस्त आराजी वादीगण नामान्तकरण संख्या 1370 दिनांक 08.12.2010 के द्वारा विरासत से प्राप्त हुई है। तहसीलदार फागी ने भी अपने जबाब के साथ सलग्न फर्द मौका रिपोर्ट मे भी वादीगण का नाम क्रमश सुरेन्द्र, अमित कुमार व कृष्ण कुमार होना बताया है। वादीगण ने वाद घोषणा व इन्द्राज दुरूस्ती का पेश किया है। उपरोक्त तथ्यो के विवेचन के प्रकाश में हम वादी का वाद डिक्री किया जाना उचित समझते है।

अतः वादीगण का वाद विरूद्व प्रतिवादी डिक्री किया जाकर विवादग्रस्त आराजी खतौनी सं0 68के आराजी खसरा नम्बर 491 रकबा 02 बिस्वा गै0मु0 चाह व खाता संख्या 100 में वर्णित ख0न0 2017 रकबा 03 बिस्वा व खाता संख्या 101 में वर्णित खसरा नम्बर 512 रकबा 03 बीघा 18 बिस्वा व खाता संख्या 559 में वर्णित खसरा नम्बर 493 रकबा 02 बीघा 16 बिस्वा भूमि वाके ग्राम माधोराजपुरा तहसील फागी जिला जयपुर मे स्थित आराजी के वर्तमान राजस्व रिकार्डे अंकन बजरंग पुत्र घासी के स्थान पर सुरेन्द्र पुत्र घासी, रामावतार पुत्र घासी के स्थान पर अमित कुमार पुत्र घासी व किशन पुत्र घासी के स्थान पर कृष्ण कुमार पुत्र घासी दुरूस्त किये जाने के आदेश तहसीलदार फागी को दिये जाते है तथा वादीगण को अपने हिस्सेनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। शेष इन्द्राज यथावत रहेगा। मुताबिक निर्णय पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 15.10.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
फागी, जिला जयपुर

डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ.20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत– उपखण्ड अधिकारी फागी(जयपुर)

बइजलास– डॉ0 राकेश कुमार मीणा(आर.ए.एस.)

उनवान

सुरेन्द्र पुत्र स्व0 घासी जाति खारोल निवासी माधोराजपुरा तहसील फागी जिला जयपुर हाल निवासी डी 69 प्रेमनगर – 2 खसरा नम्बर 1194 किरारी सुलेमान नगर, उत्तर पश्चिमी दिल्ली 110086 वगै0।

बनाम

तहसीलदार फागी तहसील फागी जिला जयपुर वगै0।

–::घोषणा इन्द्राज दुरूस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा::–

मुकदमा नं0 – 76 / 2019

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू वकील वादी हाजिरी रूबरू प्रतिवादी मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादीगण का वाद विरूद्व प्रतिवादी डिकी किया जाकर विवादग्रस्त आराजी खतौनी सं0 63 के आराजी खसरा नम्बर 491 रकबा 02 बिस्वा गै0मु0 चाह व खाता संख्या 100 में वर्णित ख0न0 2017 रकबा 03 बिस्वा व खाता संख्या 101 में वर्णित खसरा नम्बर 512 रकबा 03 बीघा 18 बिस्वा व खाता संख्या 559 में वर्णित खसरा नम्बर 493 रकबा 02 बीघा 16 बिस्वा भूमि वाके ग्राम माधोराजपुरा तहसील फागी जिला जयपुर मे स्थित आराजी के वर्तमान राजस्व रिकार्डे अंकन बजरंग पुत्र घासी के स्थान पर सुरेन्द्र पुत्र घासी, रामावतार पुत्र घासी के स्थान पर अमित कुमार पुत्र घासी व किशन पुत्र घासी के स्थान पर कृष्ण कुमार पुत्र घासी दुरूस्त किये जाने के आदेश तहसीलदार फागी को दिये जाते है तथा वादीगण को अपने हिस्सेनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। शेष इन्द्राज यथावत रहेगा।

निज......—......मुबलिग......—......बाबत......—......खर्चा इस मुकदमे के मय सूद बशरह......—......फीसदी......—......सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक......—...... का अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 15 / 10 / 2019 को जारी की गई।

दस्तखत............ उपखण्ड अधिकारी

ओहदा........ फागी (जयपुर)

मुहर

मुदई	रूपये	पैसे	मुदायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महन्ताना वकील		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान	—nil—		फीस कमीश्नर	—nil—	
फीस कमीश्नर			बबत इजराय हुक्मनामा		
बबत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					
मीजान			मीजान		

उपखण्ड अधिकारी
फागी जिला जयपुर